न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/451/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मोहनी बाई पत्नि पन्ना लाल जाति गाडरी (पुर्बिया) आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

1. प्यारी बाई पत्नी केशु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रोशन लाल पुत्र केशु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सैयद अश्फाक अली –वादीया

एकतरफा –प्रतिवादीगण

–ः वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट ः–

निर्णय दिनांकः 29.10.2025

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 0.17 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजियात में वादीया मोहनी बाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 प्यारी बाई का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रोशन लाल का 1/4 हिस्सा है । जो रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज अनुसार है। यह कि उक्त वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मौके पर आपस में बंटवाड़ा कर रखा है। और अपने अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड में खाता संयुक्त होने के कारण वादीया को कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः वादीया की प्रार्थना है कि बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बंटवाड़ा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 0.17 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजियात का मौके एवं कब्जे अनुसार वादीया का रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा कराया जाकर वादीया के कब्जे में आई आराजियात का रकबा रेवेन्यू रेकार्ड में अलग दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें एवं लगान भी अलग दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें। तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा भी उनके कब्जे में आई आराजियात रकबा रेवेन्यू रेकार्ड में अलग दर्ज कराने की डिक्री बक्षाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 11.06.2024 को हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 16.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

से प्रस्तुत की गई। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 29.10.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 0.17 हेक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. मोहनीबाई पत्नी पन्नालाल जाति गाडरी (पूर्बिया) सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1854	0.01	बा0उ0
2	1857	0.07	चाही 2
योग	कुल किता–02	0.08	

2. प्यारीबाई पत्नी केशु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी सा0 देह खातेदार, रोशनलाल पिता केशु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता आई0सी0आई0सी0आई बैंक लि0 शाखा लाखोला

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1855	0.01	बारानी A
2	1856	0.08	चाही 2
योग	कुल किता–02	0.09	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन